

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

प्रकरण क्र०:

निगरानी

107-1153-0826

श्रीमती कृष्णादेवी पति श्री रामस्वरूप, जाति कायस्थ, निवासी बल्ला का डेरा डबरा, जिला ग्वालियर, म०प्र० ----- प्राधी

वनाम


सुनीत

सुवर्ण कुमार पुत्र श्री हरदत्त मिश्रा, जाति ब्राह्मण,

निवासी मवानीपुरा ठाकुर बाबा रोड डबरा,

जिला ग्वालियर, म०प्र०

----- प्रतिप्राधी



महोदय को
द्वारा आज दि 7-4-16 को

प्रस्तुत

वसुदेव शर्मा
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश सू-राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध आदेश न्यायालय तेहसीलवार महोदय डबरा, प्रकरण क्रमांक 1943:14-15 : बी-121 वउनमसन सुनीतकुमार वनाम कृष्णादेवी में पारित आदेश दिनांक 5-2-2016 जिसके द्वारा निगरानीकर्ता का साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया है।

क. प्रदीप शर्मा
रक्षोमान महोदय,

Handwritten signature

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
10.5.2016	<p>आवेदिका की ओर से श्री कमलेश श्रीवास्तव आयोगाध्यक्ष (उपाध्यक्ष) श्रद्धालुता पर नर्क लुने गये। आवेदिका के आयोगाध्यक्ष का कथन यह नर्क है कि तहसीलदार द्वारा उनका लोक प्रभुता करने का अवसर सम्पन्न कर दिया गया है। अतः, चायद्वि में तहसीलदार का आदेश दिनांक 5-2-2016 रिस्त किया जाकर प्रकण आवेदिका को साक्ष्य देकर आयोग अवसर देकर निराकरण हेतु प्रत्यवलीत किया जाता है।</p>	<p>अवसर</p> <p>10/5/2016</p>